राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)
10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

वर्ष 2018—19 की अवधि के कार्मिकों हेतु निविदा

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को वर्ष 2018—19 की अवधि (अनुबन्ध तिथि से 31.03.2019 तक) के लिए अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवाओं हेतु रजिस्टर्ड फर्मों, अनुमोदित सेवाप्रदाताओं से सीलबन्द टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 26.3.18 को अपराह्न 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। बिड दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होंगी।

तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग—अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में निविदा की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2018—19 की अवधि के लिए संविदाकर्मी "तकनीकी बिड" तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2018—19 की अवधि के लिए संविदाकर्मी "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिए। बिड निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबन्द कर उचित रूप से संविदाकर्मियों के लिए निविदा लिखा जाकर राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफ "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। बिड प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें राइसेम की वेबसाईट www.ricem.org एवं sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में रूपये 1000/— नकद/डी.डी भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को दिनांक दिनांक 26.3.18 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार राइसेम को होगा तथा इस सम्बन्ध में राइसेम का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। **बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीकों से जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित है, द्वारा "राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)" के पक्ष में जमा करानी होगी।** बोलीदाता द्वारा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि अनुगत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। सफल बोलीदाता द्वारा सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा 1000/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबन्ध की वैधता अवधि अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2019 तक होगी। राइसेम प्रशासन को अनुबन्ध समाप्त होने से पूर्व अनुबन्ध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह हका विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्नः— बिड प्रपत्र एवं शर्तें।

निदेशक, राइसेम

Director
Rajasthan Institute of Co-operative
Education & Management, Jaipur

Scanned by CamScanner

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

लिफाफा–1

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में अनुबन्ध पर कार्मिक की सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये

:: तकनीकी निविदा प्रपत्र ::

मूल्य रू. 1000 / – (डाक द्वारा मंगवाने पर 1100 / – रूपये)

अमानत राशि रूपये 80,000 / –

विद की अनुमानित मूल्य : 40 लाख रूपये

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 26.03.2018 अपरान्ह 01:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक : 26.03.2018 अपरान्ह 03:00 बजे तक

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता को संविदा कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव अथवा जॉब बेसिस पर ठेके पर कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)	
5.	बोलीदाता / फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता / फर्म का सर्विस टैक्स नम्बर / जीएसटी नं. (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8	ठेकेदार श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
10.	गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि	
11.	गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें	
12.	गत दो वर्षों का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 28.02.2018 तक का विवरण पत्र संलग्न करें	
13.	निविदा प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
14.	अमानत राशि रूपये 80,000 / – का विवरण	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
15.	संलग्न शर्तों पर सहमति हाँ / नहीं (सहमति स्वरूप समिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करें।	हाँ अथवा नहीं

मैं .... पुत्र श्री .... सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा राइसेम की संलग्न सभी शर्ते स्वीकार है।

मैं निविदादाता .... पुत्र श्री .... निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार माने गये पी.एफ., ई.एस.आई, श्रम विभाग का पंजीयन, पैन नम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहा हूं।

साथ ही घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में केई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में राइसेम द्वारा अनियमितता के कारण दण्डित/ब्लैक लिस्टेट किया हुआ है।

उपरोक्त दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर एवं मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी अमानत राशि राइसेम में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम ....
(आवेदक)
स्थान ....

दिनांक ....

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ। कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से काई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षरा अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम...

पद..

पता...

....

मो0नं0...

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये निविदा की शर्तें

निविदा सूचना

1. बोलीदाता को सेवा शुल्क संविदा कार्मिकों के देय मूल पारिश्रमिक पर देय होगा। पी.एफ., ई.एस.आई. एवं अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि कमीशन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जावेगा।
2. वर्ष 2018—19 की अवधि (अनुबन्ध तिथि से 31.03.2019 तक) के लिये राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) को अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवायें लेने हेतु टू बिड पद्धति से (तकनीकी एवं वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 26.03.2018 को अपराह्न 01.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होंगी।
3. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रूपये 80,000 / — (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, बैंकगारन्टी, नकद, बैंकर चैक, EGRASS जो राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) जयपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
4. चयनित बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में 2,00,000 / — (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, बैंकगारन्टी, नकद, बैंकर चैक, EGRASS जो कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान जयपुर के नाम से देय हो, राइसेम के लेखानुभाग में जमा कराने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध की संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् अमानत राशि ठेकेदार को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् लौटा दी जायेगी। असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि दो माह में वापस लौटा दी जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता के मामले में उससे द्वारा जमा करायी गई 80,000 / — रूपये की अमानत राशि को धरोहर राशि के रूप मे समायोजित कर लिया जावेगा।
5. सेवा एजेन्सी का वास्तविक टर्नओवर 20.00 लाख रूपये वार्षिक होना आवश्यक है इसके लिए गत तीन वर्षों के अन्तिम खाते का विवरण संलग्न करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों की सहमति स्वरूप बोलीदाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करते हुए एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित कर निर्धारित समय से पूर्व जमा कराना होगा।
7. निविदा प्रपत्र में राइसेम द्वारा अनुबन्ध पर विभिन्न कार्यों हेतु पूर्णतया अस्थाई आधार पर बोलीदाता के माध्यम से अनुबन्ध पर लगाये जाने वाले कर्मचारियों / कामगारों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के विरूद्ध देय पारिश्रमिक राशि का बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर उसकी सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप सर्विस चार्ज की दर का उल्लेख अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। किसी प्रकार के ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा।
8. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की दक्षता का आंकलन करने का अधिकार राइसेम में निहित होगा।

9. बोलीदाता द्वारा राइसेम समय–समय पर आवश्यकतानुसार पूर्णतः अस्थाई आधार एवं संविदा प्रथा पर बोलीदाता स्वयं की जिम्मेदारी एवं पूर्ण नियंत्रण पर कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। राइसेम द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार ठेका प्रथा पर कर्मचारियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है। बोलीदाता द्वारा वर्तमान में आवश्यकतानुसार राइसेम को माहवार/प्रतिदिन राशि के भुगतान पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर होंगे।

10. बोलीदाता के द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त देनदारियां/विधिक जिम्मेदारियां सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

11. बोलीदाता द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि किसी अन्य विभाग/संस्थान में उसको काली सूचित (Black Listed) नहीं किया गया है। (नोटेरी सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

12. बोलीदाता का किसी प्रकार का आपराधिक रेकार्ड नहीं होना चाहिए। (नोटेरी सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

13. बोलीदाता को सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सहकारी संस्थान में मंत्रालयिक/तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध कराने अथवा संविदा प्रथा पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

14. बोलीदाता नाबालिग, दिवालिया करार व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि निविदा अवधि में ऐसा पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. यदि कोई बोलीदाता निविदा प्रपत्र में किसी तथ्य को छिपाता है और जो कि अनुबंध की अवधि के दौरान सामने आता है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

16. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

17. मोहरबन्द निविदायें निर्धारित तिथि व समय पर राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) मुख्यालय में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

18. सफल बोलीदाता को अनुबंध हस्ताक्षरित करने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में वांछित राशि राइसेम के पास जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि अनुबन्धित ठेका सफलता पूर्वक समाप्ति पर तीन माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरांत चैक से लौटा दी जायेगी।

    अ. सभी संबंधित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

    ब. श्रमिक अधिनियमों के अंतर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा निगम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

    स. कान्ट्रेन्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करने पर।

19. न्यूनतम दरों पर दो या दो से अधिक बोलीदाता में कार्य का विभाजन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जमा कराने हेतु निदेशक, राइसेम का निर्णय अंतिम होगा।

20. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निविदा कमैटी में सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक बोलीदाता को नहीं होगा।

21. निर्धारित तिथि अथवा समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं अथवा अमानत राशि के अभाव में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। मोहरबन्द निविदायें निर्धारित तिथि एवं समय पर खोले जाने के समय बोलीदाता स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

22. चयनित बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया करने का दायित्व सम्बनिधत बोलीदाता का होगा। चयनित बोलीदाता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का प्रत्येक 6 माह में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा।

23. चयनित बोलीदाता और राइसेम के मध्य पूर्णतया अस्थाई आधार पर ठेका प्रथा पर कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु 1000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा जिसे दोनों पक्षों की सहमति से और आगे न्यूनतम तीन माह और अधिकतम एक वर्ष तक के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

24. संविदा प्रथा पर कर्मचारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है और इसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकती है।

25. राइसेम को संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं की एवज में परस्पर तय की गई राशि पर नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान/ईएसआई के पेटे भुगतान होने वाली समस्त राशि राइसेम द्वारा वहन की जावेगी। राइसेम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रतिमाह निर्धारित देय राशि पर नियमानुसार सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान किया जावेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, सर्विस टैक्स की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेवारी बोलीदाता स्वयं की होगी।

26. प्रत्येक संविदाकर्मी को प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक) प्राधिकृत अधिकारी/अनुभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी। प्रत्येक संविदाकर्मी को राइसेम में प्रचलित साप्ताहिक अवकाश भी देय होंगे परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें साप्ताहिक अवकाश के दिन भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर संविदाकर्मियों को निर्धारित कार्यालय समय से पूर्व अथवा निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् भी रोका जा सकता है। इस अतिरिक्त ड्यटी के लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

27. कार्यस्थल पर संविदाकर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बोलीदाता का रहेगा परंतु कार्य कुशलता एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु राइसेम द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन संविदाकर्मियों को करना होगा।

28. यदि बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया तो उसको नोटिस दिया जाकर एग्रीमेंट को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, राइसेम के पास होगा।

29. बोलीदाता द्वारा लगाये गये संविदाकर्मियों का शोषण नहीं हो और बोलीदाता उन्हें निर्धारित राशि अदा करें, यह सुनिश्चित करने हेतु एक फुलप्रूफ तरीका अपनाया जावेगा। अलगे माह का भुगतान बोलीदाता को तभी किया जावे जब वह उसके मार्फत नियुक्त संविदाकर्मियों को भुगतान एवं उनके भविष्य निधि खाते में पिछले माह अंशदान के जमा होने का प्रमाण पत्र बोलीदाता द्वारा राइसेम को प्रस्तुत ना कर दिया जावे।

30. यदि बोलीदाता नियोजित संविदाकर्मियों को संपूर्ण देय राशि से कम राशि का भुगतान करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाकर उसे ब्लेक लिस्ट किया जावेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

31. संविदा पर राइसेम में संविदाकर्मियों को नियुक्ति देते समय बोलीदाता द्वारा उनका नाम व पता, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण प्रत्र एवं एक नवीनतम फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत करने होंगे।

32. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों को नाम, पते सम्बन्धित परिचय पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मियों को पहचान पत्र स्वयं के पास रखना होगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।

33. राइसेम में कार्यरत संविदाकर्मियों को राइसेम के संबंधित सक्षम अधिकारी के निर्देश का पालन करना होगा। राइसेम में कार्यरत संविदाकर्मियों के पदस्थापन सम्बन्धी बदलाव राइसेम की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा।

34. यदि किसी कारणवश अथवा आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त संविदाकर्मियों की आवश्यकता तो बोलीदाता को मांग अनुसार तुरंत उपलब्ध कराने होंगे जिसके एवज में राइसेम द्वारा आनुपातिक अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

35. राइसेम मुख्यालय परिसर में कोई भी संविदाकर्मी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/ गेट पास के कोई भी सामान परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संविदाकर्मियों की लापरवाही अथवा बदनियति से राइसेम के किसी भी सामान/उपकरण आदि की चोरी/नुकासन होने की स्थिति में बोलीदाता से राशि की बसूली की जावेगी।

36. बोलीदाता को उसके द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों की माहवार उपस्थिति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा कर बिल के साथ प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी। राइसेम द्वारा बिल का परीक्षण कर अतिशीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जावेगा। परंतु बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों को अधिकतम 10 तारीख तक निश्चित रूप से पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जावे। किसी भी कार्मिक को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जावे।

37. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मी राइसेम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से अथवा राइसेम से संबंध रखने वाले किसी अन्य बोलीदाता/एजेन्सी से किसी तरह का व्यक्गित लेन–देन/संबंध नहीं रखेंगे।

38. संविदाकर्मियों द्वारा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि होने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी और वह यह सुनिश्चित करेगा कि आंदोलनकारी मुख्यालय परिसर में प्रवेश ना करने पावे और राइसेम की संपत्ति/कर्मचारी/अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाये। बोलीदाता के कर्मचारियों द्वारा राइसेम की सम्पति अथवा राइसेम के कर्मचारियों/अधिकारियों का कोई नुकसान की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

39. बोलीदाता और राइसेम के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में निदेशक, राइसेम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

40. राइसेम द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उक्त ठेका प्रथा पर कर्मचारी रखने की व्यवस्था का समाप्त किया जा सकता है परंतु ठेकेदार को इस बाबत कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा।

41. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मी का आचरण एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए और बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी पूर्ण करें। यदि राइसेम द्वारा किसी संविदाकर्मी की शिकायत की जाती है तो बोलीदाता को उसे तुरंत प्रभाव से बदलना होगा। बोलीदाता के किसी कर्मचारी द्वारा राइसेम की सम्पति को कोई नुकसान पहुंचता है या बोलीदाता का कोई कर्मचारी अमानत में खयानत करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी और उसे राइसेम को हुये नुकसान की भरपाई करनी होगी। राइसेम द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय संविदाकर्मियों की उपस्थिति/रेकार्ड का आकस्मिक निरीक्षण कर सके और उसमें आवश्यक बदलाव के दिशा–निर्देश दे सके। यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निर्धारित संख्या से कम संविदाकर्मी पाये गये तो राइसेम द्वारा 200/– रूपये प्रति संविदाकर्मी प्रति दिन की दर से ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जाकर ठेकेदार के बिल में से कटौती की जावेगी।

42. समस्त कर्मचारी बोलीदाता के ही कर्मचारी समझे जावेंगे, जिनके समस्त दायित्व बोलीदाता के ही होंगे।

43. श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट, सर्विस टैक्स (यदि लागू हो) अधिनियम आदि के तहत बोलीदाता को सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी। इससे सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड का संधारण बोलीदाता को करना होगा।

44. संविदा प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम की संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

45. श्रम अधिनियम अथवा किसी अन्य कानूनी दायित्व के तहत किसी अन्य प्रकार का लाभ यदि दिया जाना हो, वह बोलीदाता द्वारा अनुबंधित संविदाकर्मियों को देना होगा। संविदाकर्मियों को किये गये भुगतान का पूर्ण रेकार्ड रखना होगा एवं मांगने पर राइसेम को प्रस्तुत करना होगा।

46. यदि संविदा अवधि के दौरान नियुक्त संविदाकर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है तो इसके लिए नियमानुसार जो भी भुगतान होगा उसकी समस्त जिम्मेवारी बोलीदाता की स्वयं की होगी।

47. श्रम विभाजन एवं अन्य कोई नियम, अधिनियम जो भी अनुबंधित संविदाकर्मियों के लिये लागू होगा, के अंतर्गत बोलीदाता को संपूर्ण रेकार्ड रखना होगा एवं मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

48. बोलीदाता के किसी भी कर्मचारी के द्वारा संविदा में अथवा उसके बाद यदि बकाया भुगतान अथवा रोजगार दिये जाने के संबंध कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता ठेकेदार का होगा। संविदा समाप्ति उपरांत इण्डेमनिटी बाण्ड भी इस आशय का प्रस्तुत करना होगा।

49. बोलीदाता द्वारा नियुक्त संविदाकर्मी संपूर्ण कार्य रासइेम द्वारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार अथवा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करेगा।

50. संविदा प्रथा पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी यदि किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो बोलीदाता को उसके बिल मे से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा और बोलीदाता को अनुपस्थित कर्मचारियें के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

51. बोलीदाता को उसके द्वारा लगाये गये संविदाकर्मियों का उपस्थिति प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में बोलीदाता के बिल का भुगतान संभव नहीं होगा।

52. सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान, ईएसआई व पी.एफ की राशि की जमा रसीदें प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जावेगा।

53. प्रस्तुत किये गये बिलों में वैधानिक कटौतियों तथा टी.डी.एस व अन्य नियमानुसार लागू करों की कटौतियां की जावेगी।

54. बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय बिड प्रपत्र एवं इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

55. सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 26.03.2018 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद–विवाद मान्य नहीं होगा।

56. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

57. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

58. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।

59. तकनीकी एंव वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी आदि तरीकों से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित है, द्वारा "राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में समायोजित किया जावेगा।

60. पूर्व में राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निविदा के साथ नियमानुसार जमा करायी जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

61. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगीः–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए, 25 %

(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए, 05 %

(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए, 7.5 %

(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए, 10 %

62. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।

63. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

64. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं वैट अतिरिक्त देनी होगी।

65. निविदा से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबन्ध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी, उपाध्यक्ष (रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर) राइसेम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी अध्यक्ष (प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता) राइसेम, जयपुर में निहित है।

66. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2019 तक लिये मान्य होगी। आवश्यकता पडने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा, एवं राइसेम प्रशासन को अनुबन्ध अवधि से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

67. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राइसेम को होगा।

68. राइसेम के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

69. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

70. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।

71. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।

72. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

हमने उक्त बिड्स शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

एस.आर प्रारूप – 11

बोलीदाताओं की घोषणा

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत का किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता के मय मोहर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

लिफाफा–2

(कार्मिकों हेतु वित्तीय निविदा)

क्र. सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	पदों की संख्या	न्यूतम योग्यता व अनुभव	सेवाओं के लिए देय राशि प्रति माह	सेवाओं की आपूर्ति हेतु संस्था द्वारा चार्ज किये जाने वाला सेवा शुल्क (प्रतिशत में) मूल पारिश्रमिक पर ही देय
1.	कम्प्यूटर प्रोगामर	1	कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक/एम.सी.ए, अथवा अन्य समकक्ष योग्यता, कम्प्यूटर प्रोगामर के रूप में किसी संस्थान में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।	रूपये 14880/–	
2.	लाइब्रेरियन	1	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार पुस्तकालय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा/स्नातक हो तथा संस्था में उपलब्ध पुस्तकों का रख–रखाव पुस्तकालय पंजिका संधारित करना, नई किताबें खरीदने के प्रस्ताव प्रस्तुत करना व समस्त पुस्तकों का कम्प्यूटरीकृत रख–रखाव आदि का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो।	रूपये 11880/–	
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो एवं Rajasthan State Certificate of Information Technology (RSCIT) से उत्तीर्ण एवं 2 वर्ष का संस्था में कार्य करने का अनुभव हो।	रूपये 12540/–	
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/टाईपिस्ट	3	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। हिन्दी एवं अंग्रेजी की कम्प्यूटर टाईपिंग एवं 2 वर्ष का संस्था में कार्य करने का अनुभव हो।	रूपये 10200/–	
5.	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता/बागवान/सहायक कर्मचारी	16	पांचवी पास अथवा कार्यालय में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	रूपये 6400/–	
कुल		**23**			